जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/अआ/एल.पी.सी./09/डी-1( )2 दिनांक 2-4/2009

परिपत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूखण्ड आवंटन हो जाने के पश्चात् कई बार विभिन्न कारणों से आवंटी को कब्जा दिया जाना संभव नहीं होता है। जिससे जोन द्वारा आवंटित भूखण्ड के बदले अन्यत्र भूखण्ड विनिमय में दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

दिनांक 18.02.09 को आयोजित एल.पी.सी. की 50वी बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार भविष्य में जविप्रा की विभिन्न योजनाओं में भूखण्ड विनिमय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्न कार्यवाही की जावे :-

(1.) विनिमय में दिये जानेवाले भूखण्ड का माप यथा सम्भव पूर्व में आवंटित भूखण्ड के माप के बराबर हो। यदि समान माप का भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे भूखण्डो का प्रस्ताव तैयार किया जावे जिनका माप 10 प्रतिशत कम अथवा अधिक ही हो। अभाव की स्थिति में कारण बताया जावे।

(2.) विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड यथा सम्भव उसी ब्लॉक में हो यदि उसी ब्लॉक में भूखण्ड उपलब्ध न हो तो समीपस्थ ब्लॉक में स्थित होना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थिति में ही उपरोक्तानुसार भूखण्ड उपलब्ध न होने पर योजना की अन्य लोकेशन पर भूखण्ड प्रस्तावित किया जा सकता है।

(3.) विनिमय में दिया जाने वाला भूखण्ड यथा सम्भव समान चौडाई की सडक पर होना चाहिए। यदि इस प्रकार भी भूखण्ड चिन्हित करना सम्भव न हो तो अगली श्रेणी (Next higher category) की चौडाई की सडक पर भूखण्ड प्रस्तावित किया जा सकता है। परन्तु इसके लिये यथोचित कारण इंगित करने होगे।

(4.) उपरोक्तानुसार भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर कारण दर्शाते हुए अन्य भूखण्ड का प्रस्ताव दिया जावे।

(5.) भूखण्ड विनिमय के प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित भूखण्ड व गूल आवंटित भूखण्ड दर्शाते हुए स्कीम का नक्शा भी संलग्न किया जावे।

उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावे।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
3. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
4. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर